न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 103/2016

वादीया :–

सोहनी देवी पुत्री गोकलराम पत्नि पुकाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल निवास ग्राम रूड़कली तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

गोकलराम पुत्र सुजाराम (फौत) के कायम मुकाम :–

1. गुटीदेवी पत्नि स्व.गोकलराम
2. बाबूलाल पुत्र गोकलराम
3. सहीराम पुत्र गोकलराम
4. शिवराम पुत्र गोकलराम
5. सीता पुत्री गोकलराम पत्नि सहीराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
7. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत तिलवासनी जिला जोधपुर ।
8. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत सिलारी जिला जोधपुर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री मन्सुर अली छीपा वादीया की ओर से
श्री बख्तावरसिंह जाखड़ प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31.10.2019

वादीया ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम तिलवासनी की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता सं. नया 93 में खसरा नम्बर 553 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है व खाता सं. नया 332 में खसरा नम्बर 57/1 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम आई हुई है व ग्राम सिलारी की राजस्व सीमा में खेता सं. नया 77 में खसरा नम्बर 427 रकबा 28 बीघा किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि आई हुई है जिसको आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से वादिया व प्रतिवादीगण के पूर्वतज जीवण पुत्र बागा के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी व जीवण के स्वर्गवास के पश्चात् वादग्रस्त आराजी जीवण के एकमात्र पुत्र सुजाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई व सुजाराम के देहान्त के पश्चात् वादग्रस्त आराजी सुजाराम के पुत्र गोकलराम, भागुराम, रूखराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई । वादग्रस्त आराजी का व जीवण के अन्य खसरो का जो कि शामलाती कृषि भूमि थी का बंटवाड़ा करते हुए खसरा नम्बर 57/1 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 553 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो कि ग्राम तिलवासनी की सरहद में स्थित है को प्रतिवादी सं. एक गोकलराम के हक में जरिये बंटवाड़ा नामान्तकरण सं. 745

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

के दिनांक 26.12.2004 को रखा गया व ग्राम सिलारी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 427 रकबा 28 बीघा को आपसी भाई बंटवाड़ा में प्रतिवादी सं. एक के हक हिस्से में जरिये बंटवाड़ा नामान्तकरणसं. 663 के दिनांक 03.10.2001 को रखा गया । वादग्रस्त आराजी वादिया के परदादा की खातेदारी की कृषि भूमि थी जो कि उपरोक्त सजरा खानदान से स्पष्ट है व उत्तरोतर दर्ज होती रही है व वादीया ने वादग्रस्त आराजी में पैतृक कृषि भूमि होने से हिन्दु विधि के अनुसार अपना 1/6 वां हक व हिस्सा होने तथा उस पर काबिज काश्त होने का कथन किया तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी के जो बेचाननामे प्रतिवादी सं. 2 से 4 के हक में निष्पादित किये गये उन्हे अपने हक व हिस्से तक विधिक रूप से निष्प्रभावी होना बताते हुए वादग्रस्त आराजी में अपना 1/6 वां हक हिस्सा घोषित करने तथा अपने हक व हिस्से तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा ।

वादीया के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरीये सम्मन की गयी । प्रतिवादीगण की ओर से वकील बख्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादीनी का कोई हक व हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी सं. एक ने वादग्रस्त आराजी को पंजीबद्ध बेचाननामा के जरीये प्रतिवादी सं. 2 से 4 को बेचान कर दिया है इसलिए वादग्रस्त आराजी में वादीया का कोई हक व हिस्सा नही है व वादीया की पैरावनी, मायरा, ओढावनी, व दानदहेज का खर्चा प्रतिवादीगण ने किया है व वादीया अपने पति के साथ ग्राम रूडकली में निवास करती है तथा वही पर कृषि कार्य करती है। वादग्रस्त आराजी में वादीया का कब्जा काश्त नही है व वादीया ने पंजीबद्ध बेचाननामा को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नही की है तथा प्रतिवादीगण ने वादीया को किसी भी प्रकार की धमकियां नही दी है व वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण पंजीबद्ध बेचाननामो के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम से स्वीकृत हो चुका है व वादीनी का वाद पत्र काबिले खारिज है जो खारिज फरमाया जावें ।

वादीया की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो इस प्रकार से है :– ग्राम तिलवासनी के जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2023 प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 प्रदर्श 2, जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 प्रदर्श 3, जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 प्रदर्श 4, जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 प्रदर्श 5, जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 प्रदर्श 6, जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 प्रदर्श 7, ग्राम सिलारी के जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 प्रदर्श 8, जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 प्रदर्श 9, जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 प्रदर्श 10, जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047 प्रदर्श 11, जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2051 प्रदर्श 12, जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 प्रदर्श 13, पंजीबद्ध बेचाननामा तिलवासनी में गोकलराम से बाबुलाल वगैरा को प्रदर्श 14, पंजीबद्ध बेचाननामा सिलारी में गोकलराम से बाबुलाल वगैरा को प्रदर्श 15 प्रस्तुत किये

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

तथा उक्त दस्तावेजो को गवाह सोहनीदेवी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा प्रदर्शित करवाया गया ।

वादीया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र व अपने पति सहीराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर वादीया से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गयी । वकील प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गयी ।

बहस वकुलाय सुनी गयी । वकील वादीया ने अपना वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा वकील प्रतिवादीगण ने वादीया का वाद पत्र स्वीकार किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति होने से इन्कार किया तथा वादीया का वादपत्र स्वीकार कर वादीया व प्रतिवादी सं. 1 से 5 को समान रूप से खातेदार घोषित करने का निवेदन किया ।

वकील वादीया व वकील प्रतिवादीगण की बहस को सुना गया । वादपत्र तथा जवाब दावा व गवाह के बयानो को व पत्रावली में पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र को स्वीकार करने पर अनापत्ति जाहिर करने से तनकीवार विवेचन नही किया गया लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सिलारी व ग्राम तिलवासनी में स्थित वादग्रस्त आराजी पूर्वज जीवण पुत्र बागा के नाम से थी जो बाद में उनके पुत्र सुजाराम के नाम से इन्द्राज हुई व सुजाराम के बाद वादीया के पिता गोकलराम के नाम से इन्द्राज हुई यानि वादग्रस्त आराजी वादीया के परदादा के नाम से थी जो प्रदर्श 1 से 3 व 8 से 10 से स्पष्ट है । वादग्रस्त आराजी पैतृक कृषि भूमि होने से वादीया का हिन्दुविधि के अनुसार 1/6 वां हक हिस्सा बनता है व वादीया 1/6 वां हक व हिस्सा वादग्रस्त आराजी में अपने नाम से घोषित करवाने व अपने हक व हिस्से तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है व प्रतिवादी मृतक गोकलराम द्वारा प्रतिवादी सं. 2 से 4 के हक में करवाये गये बैचाननामे हक व हिस्से से ज्यादा होने से वादीनी के हिस्से तक स्वतः निष्प्रभावी है । जिन्हे वादीया को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नही है व पैतृक कृषि भूमि में जन्म से ही हिस्सेदार का कब्जा व हक माना जाता है व प्रतिवादीगण ने वादीया का उसका हक व हिस्सा वादग्रस्त आराजी में दे दिया हो तो ऐसा प्रमाण पत्रावली में नही है । इसलिए वादीया अपना वादपत्र साबित करने में सफल रही है ।

वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम तिलवासनी में स्थित खसरा नम्बर 553 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा यानि 2.4108 हैक्टयर कृषि भूमि तथा खसरा नम्बर 57/1 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा यानि 0.6553 कृषि भूमि में तथा ग्राम सिलारी में स्थित खसरा नम्बर 427 रकबा 28 बीघा यानि 4.5304 हैक्टयर कृषि भूमि में वादीनी को 1/6 वां हक व हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि व वादीनी के हक व हिस्से में कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न किसी अन्य से करावें ।

Scanned by CamScanner

अतः भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम तिलवासनी में स्थित खसरा नम्बर 553 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा यानि 2.4108 हैक्टयर कृषि भूमि तथा खसरा नम्बर 57/1 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा यानि 0.6553 कृषि भूमि में तथा ग्राम सिलारी में स्थित खसरा नम्बर 427 रकबा 28 बीघा यानि 4.5304 हैक्टयर कृषि भूमि में सोहनी देवी का 1/6 वां हिस्सा, सीता का 1/6 वां हिस्सा, बाबुलाल का 1/6 वां हिस्सा, शिवराम का 1/6 वां हिस्सा, सहीराम का 1/6 वां हिस्सा, पिसरान गोकलराम तथा गुटीदेवी पत्नि स्व. गोकलराम का 1/6 वां हिस्सा सभी जातियान विश्नोई निवासीगण तिलवासनी के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप में इन्द्राज करें । उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

सोहनीदेवी बनाम गोकलराम वगैरा

दावा बाबत 88,188, आर टी एक्ट

राजस्व मूल वाद संख्या 183/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई समक्ष व बमुलाये हाजरी वकील मन्सूर अली छीपा मनजानिब मुदई बक्तावरसिंह जाखड़ मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में वादीनी को 1/6 वां हक व हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादीनी के हक व हिस्से में कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न किसी अन्य से करावें । अतः भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सिलवासनी में स्थित खसरा नम्बर 553 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा यानि 2.4108 हैक्टयर कृशि भूमि तथा खसरा नम्बर 57/1 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा यानि 0.6553 कृषि भूमि में तथा ग्राम सिलारी में स्थित खसरा नम्बर 427 रकबा 28 बीघा यानि 4.5304 हैक्टयर कृषि भूमि में सोहनी देवी का 1/6 वां हिस्सा, सीता का 1/6 वां हिस्सा, बाबुलाल का 1/6 वां हिस्सा, शिवराम का 1/6 वां हिस्सा, सहीराम का 1/6 वां हिस्सा, पिसरान गोकलराम तथा मुन्नीदेवी पत्नि स्व. गोकलराम का 1/6 वां हिस्सा सभी जातियान विश्नोई निवासीगण सिलवासनी के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप में इन्द्राज करें । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

तीज ....शून्य ....मुवलिक ....शून्य............ बाबत ....शून्य............ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह..........................शून्य..............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक............शून्य..................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत............
ओहदा............

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायला	रुपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प तजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशन बाबत कुजरात हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशन बाबत कुजरात हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकान का साथ डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner